

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.

भोपाल दिनांक 06/07/2017

क्रमांक / /2017/26-2/476
प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।
2. समस्त आयुक्त,
नगर निगम, मध्यप्रदेश।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
5. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका/नगर परिषद, मध्यप्रदेश।

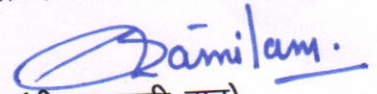
विषय :- पेंशन हितग्राहियों को ई-पेमेंट आर्डर की नवीन व्यवस्था के माध्यम से जून 2017 माह से पेंशन भुगतान की कार्यवाही करने के संबंध में।

संदर्भ :- विभाग का पत्र क्रं. 517-788/2017/36/26-2, दिनांक 31 मार्च 2017, क्रं. 458/2017/36/26-2 दिनांक 13 जून 2017 एवं क्रं. /2017/26-2/557 दिनांक 28 जून 2017।

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। पेंशन वितरण हेतु इलेक्ट्रानिक पेमेंट आर्डर (ई.पी.ओ.) के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) करने की नवीन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जून 2017 माह से पेंशन का वितरण ई.पी.ओ. द्वारा पेंशन पोर्टल (pensions.samagra.gov.in) के माध्यम से प्रारंभ किया जाना है। ई.पी.ओ. जारी करने की विधि टेस्ट पेंशन योजना के अनुरूप है तथा पेंशन पोर्टल पर देखी जा सकती है। ध्यान रखें कि टेस्ट पेंशन के रु. 1 के सफल भुगतान हितग्राहियों को ही पेंशन दी जाना है।

जून माह में पेंशन योजना अंतर्गत नवीन स्वीकृत हितग्राहियों को टेस्ट पेंशन योजना अंतर्गत राशि रुपये 1 का सफल भुगतान होने के उपरांत ही आगामी माह के पेंशन प्रपोजल में शामिल किया जा सकेगा अतः उक्त प्रक्रिया के संबंध में पृथक से अवगत कराया जायेगा। अतः जून माह के पेंशन भुगतान ई.पी.ओ. के माध्यम से करने की कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।

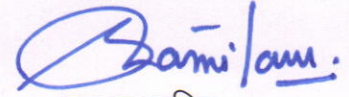
कृपया उपरोक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।


(नीलम शमी राव)

प्रमुख सचिव,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,
विभाग

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग।
2. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग।
3. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग।
4. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय म.प्र.।
5. आयुक्त, संस्थागत वित्त।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, मध्यप्रदेश।
7. मुख्य प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
8. श्री सुनील जैन, तकनीकी संचालक, एनआईसी, मध्यप्रदेश।
9. समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., मध्यप्रदेश की ओर निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदाय करने बाबत।
11. समस्त ई-गवर्नेंस मैनेजर की ओर निकायों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदाय करने बाबत।



प्रमुख सचिव,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन
कल्याण, विभाग